>

Title: Discussion on the motion for consideration of the National Jute Board Bill, 2006, moved by Shri Shankersinh Vaghela (Speech Unfinished and Discussion Not Concluded).

MR. CHAIRMAN : Now, we take item no. 26 – Shri Shankersinh Vaghela.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKARSINH VAGHELA): I beg to move:

> "That the Bill to provide for the establishment of a National Jute Board for the development of the cultivation, manufacture and marketing of jute and jute products and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to provide for the establishment of a National Jute Board for the development of the cultivation, manufacture and marketing of jute and jute products and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

17.17 hrs.

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। नैशनल जूट बोर्ड बिल, 2006 कुछ अमेंडमेंट्स के साथ यहां पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे लाखों जूट फॉर्मर्स और वर्कर्स हैं, उन्हें आज तक जितनी परेशानियां हुई हैं और हो रही हैं, उन्हें उनमें से निकालने और उनके जीवन को सुधारने के आशय से लाया गया, यह एक अच्छा बिल है। वैसे तो यह पूरा बिल एक मर्जर बिल है। जूट सैक्टर में अलग-अलग कहीं कौंसिल, कहीं बोर्ड और कहीं सोसायटी हैं, उन सभी को इस बिल के जरिए मर्ज कर के एक बोर्ड बना दिया गया है। जितनी भी ऐसी कौंसिल, बोर्ड या सोसायटियों की पॉवर थी, फंड था, मैनपॉवर था, उसे इस बोर्ड में समाविष्ट कर के एक नैशनल जूट बोर्ड बनाया गया है। जैसे जूट मैन्यूफैक्चर्स डैवलपमेंट कौंसिल (जे.एम.डी.सी.) या नैशनल सेंटर फॉर जूट डायवर्सीफिकेशन (एन.सी.जे.डी.) आदि सोसायटियों को इसमें एब्जॉर्ब कर के यह बोर्ड बनाया गया है। जैसा मैंने कहा, जूट सैक्टर में जो स्कोप है, उनके डैवलपमेंट के लिए, साथ-साथ जो किसान और वर्कर हैं, उनके कल्याण के लिए यह बिल लाया गया है। इसकी मूल भावना से सहमत होते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल में जो प्रावधान रखा है, उसमें भी अमेंडमेंट के साथ यह बिल नहीं लाया गया होता, तो यह पूरा का पूरा बिल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का बिल है।

इस बोर्ड में न तो किसान की आवाज है, न वर्कर की आवाज है, न एक्सपोर्टर की आवाज है, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक फोर्म का बिल बनाया था-नेशनल जूट बोर्ड, 2006। यह ठीक है कि इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कुछ सुधार होना बाकी है। आगे अवश्य होगा। जैसा मैंने कहा कि यह बिल ब्यूरोक्रेटिक फोर्म का बिल है, जिसमें आप उनके सैक्शन तीन और सैक्शन चार देखें तो उसमें जो बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड में करीब 20 मैम्बर हैं। उन 20 मैम्बर्स में आप देखें कि मानों कि जूट इंडस्ट्री से-चाहे आर्गेनाइज्ड सैक्टर हो, चाहे डीसैण्ट्रलाइज्ड सैक्टर हो, उसमें से दो-दो और एक्सपोर्टर्स में से दो, कुल मिलाकर 6 लोग इसमें हैं, बाकी 14 सिर्फ सरकारी आफिसर्स हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से अगर बोर्ड बनायें तो उसमें न किसानों का, न वर्कर्स का कोई कल्याण होने वाला है। आखिर हम बोर्ड बनाते हैं तो सैक्टर को डैवलप करने के लिए बनाते हैं। आज जूट एक ऐसा आइटम है, जिसे हम कहते हैं कि गोल्डन फाइबर, एक ऐसा फाइबर है कि जिससे हम इस देश में आर्थिक आबादी भी बढ़ा सकते हैं और रोजगारी भी निर्माण कर सकते हैं और जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके हम बहुत बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हैं, इतनी क्षमता इस जूट सैक्टर में है। लेकिन जिस प्रकार से वह बढ़ना चाहिए, बढ़ा नहीं। जो सुधार होना चाहिए, वह सुधार हुआ नहीं और ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म के रूप में हमारे पास जो बिल लेकर आये हैं, माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए। जो 20 मैम्बर्स का बोर्ड बनेगा तो उसमें मैजोरिटी जो होगी, वह जूट फार्मर्स की होनी चाहिए, जूट वर्कर्स की होनी चाहिए, जूट इंडस्ट्रीज़ की या जूट एक्सपोर्टर्स की। अगर इसका बहुमत नहीं होगा तो फिर वही सरकारी अधिकारी अलग-अलग एग्रीकल्चर में से आये या फूड एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से आये, यही सब सैक्रेटरी, जोइंट सैक्रेटरी, डायरैक्टर, ये आज तक अपनी मनमानी चलाते रहें, उनकी मनमानी से आज तक जूट सैक्टर का डैवलपमेंट नहीं हो पाया। इसीलिए जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब हमने एक टैक्नोलोजी मिशन ऑन जूट का प्रपोजल बनाया था। जिस प्रकार से टैक्नोलोजी मिशन ऑन कॉटन बनाया, जो आज सक्सेस हुआ। इसकी सक्सेस इतनी है कि पहले गुजरात में 40-44 लाख बेल्स क्राप होती थी और आज 100, 110 और 120 लाख बेल्स होती है। पहले जितनी क्राप थी, उससे 3-4 गुना क्राप आज वहां हो रही है। इसका अगर क्रेडिट जाता है तो टैक्नोलोजी मिशन ऑन कॉटन को है। इसी प्रकार से टैक्नोलोजी मिशन ऑन जूट पर हमने आगे एक प्रपोजल बनाकर, दरख्वास्त बनाकर आगे आये थे, लेकिन सरकार चली गई और बाद में इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। नुकसान में आज जूट के फार्मर्स हैं और जूट के वर्कर्स को भोगना पड़ता है।

मेरी बात यह है कि इस प्रकार का बोर्ड का जो डैमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया जाये तो इससे बहुत अधिक लाभ इस जूट सैक्टर का होगा। इसीलिए माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि जैसे इसका चैयरमैन होगा, जो टैक्सटाइल के सैक्रेटरी होंगे, वह उसका चेयरमैन हो जायेगा और जो वाइस चेयरमैन है, इसके लिए इसमें जो प्रावधान रखा है:

> "The Board shall elect from among its members a Vice-Chairman who shall exercise such powers and perform such of the functions of the Chairperson as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairperson."

माननीय मंत्री जी, मेरा सुझाव यह है कि बाकी जो बोर्ड मेंबर्स बचे हैं, उनमें से ही वाइस चेयरमैन बनाने से अच्छा तो यह होगा कि जिस प्रकार आपने सेक्रेटरी को चेयरमैन बना

दिया, इसी प्रकार से इसमें यह सुधार होना चाहिए कि अगर फार्मर्स का डेलीगेट है या वर्कर्स का डेलीगेट है, उनमें से ही वाइस चेयरमैन होना चाहिए, न कि बाकी बचे जितने मेंबर्स हैं, उनमें से यह बने। मुझे भय है, मेरा एप्रिहैंसन है कि जो इस बोर्ड के मेंबर्स हैं, हो सकता है कि उनमें से ही वाइस चेयरमैन पद के लिए किसी अफसर की नियुक्ति हो जाए। माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें। इसमें सरकार का ही चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी चेयरमैन है, जो आफीसर हैं, अगर वाइस-चेयरमैन भी आफीसर हो गए, तो किसान या कामगार की कोई आवाज इस बोर्ड में नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार का सुधार इसमें होना चाहिए।

नंबर थ्री अमेंडमेंट में कहा गया कि तीन मेंबर आफ पार्लियामेंट रहेंगे, "Two shall be elected from among themselves by the Members of the House." दो लोकसभा से होंगे और एक मेंबर राज्यसभा से होगा। यह ठीक है, लेकिन जो लाखों हमारे फार्मर्स हैं, उनमें से कितने डेलीगेट होंगे? यह बताया गया कि जो फार्मर्स हैं, उनमें से तीन मेंबर्स लिए जाएंगे। तीन मेंबर्स में से एक वेस्ट बंगाल का होगा। वेस्ट बंगाल में वैसे भी जूट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। दो मेंबर्स बाकी के स्टेट्स से, जहां जूट की क्राप हो रही है, जूट की एक्टिविटी हो रही है, वहां से दो मेंबर्स लिए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये तीन ही क्यों? बीस मेंबर्स में से ज्यादातर मेंबर्स सरकारी आफीसर हैं, जबकि लाखों किसान हैं और जूट की एक्टिविटी भी और राज्यों में फैलती जा रही है, नयी-नयी जूट मिलें आ रही हैं, जूट का क्राप लेने के लिए फार्मर्स भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मेरा यह कहना है। पहले हम मानते थे कि वेस्ट बंगाल में ही जूट है, बिहार में जूट है, लेकिन आज उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी जूट की एक्टिविटी और क्राप बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। वहां किसान इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जूट मिलें लग रही हैं। अभी मैं उड़ीसा गया था, वहां नयी-नयी जूट मिलें आ रही हैं। कलकत्ता के बदले वे वहां अपनी जूट मिल लगा रहे हैं। वैसे जूट मिल का भी एक इतिहास है, मैं ज्यादा समय नहीं होने के कारण इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे देश की जितनी भी जूट मिल्स हैं, उनमें से बहुत सारी वेस्ट बंगाल में रहीं, लेकिन जो क्राप का एरिया था, वह वेस्ट बंगाल में कम रहा, उसका ज्यादातर एरिया जो बांग्लादेश बना, उसमें चला गया। आज अच्छी से अच्छी क्राप वहां हो रही है। मैं बाद में इस बात पर आऊंगा।

मेरा कहना यह है कि बहुत सारे राज्यों में आज जूट की एक्टिविटी हो रही है। जूट के किसान, जो पहले दूसरी क्राप लेते थे, वे आज जूट की क्राप लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तीन मेंबर्स जूट के किसानों में से और तीन मेंबर्स जूट के वर्कर्स में से लेने की जो बात कही गयी है, उसमें उनकी संख्या बढ़ायी जाए।

सभापति महोदया : कांशीराम जी, हाफ ऐन ऑवर डिस्कशन अभी लेना है। आपको अभी कितना समय लगेगा? इसे फिर सोमवार को कांटीन्यु करें।

â€¦(व्यवधान)[p48]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): सभापति महोदया, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस समय बेशक आधे घंटे की चर्चा ले ली जाए लेकिन आधे घंटे के बाद फिर इसी बिल को शुरू कर दिया जाए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : ऐसे नहीं होता है।...(व्यवधान)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): It is not possible.

श्री पवन कुमार बंसल : क्यों संभव नहीं है? हम अवसर बैठते हैं।...(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा : यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : बंसल जी, यदि हाउस एग्री करे तो बात अलग है, लेकिन कोई भी एग्री नहीं कर रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदया, चार दिन का अवकाश है, हम सबने ट्रेन वगैरह में रिजर्वेशन करवा रखी है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : सभापति महोदया, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : बंसल जी रिक्वैस्ट कर रहे हैं। मैं पहले उनकी रिक्वैस्ट सुन लूं। हम बाद में बात करेंगे।

â€¦(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : हम अवसर बैठते हैं।...(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा : यह बिल थोड़े समय में पूरा होने वाला नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैं कह रहा हूं कि हम इस बिल को चलाते रहें।...(व्यवधान) मैं जबरदस्ती और जल्दबाजी में नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आधे घंटे की चर्चा के बाद हम फिर इसी बिल को ले लें।...(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा : यह बिल आज पूरा नहीं होगा, इसलिए इसे सोमवार को कीजिए।...(व्यवधान) वैसे भी हमारे पास गवर्नमैंट बिजनेस क्या है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : राणा जी, बिजनेस है।...(व्यवधान) मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं। हाउस में ऐसे ही होता है। Once from the Government's side there is a request, it is normally considered by the House.

हम पिछले दिनों रात के नौ-नौ बजे तक बैठते रहे हैं। उस वक्त उधर से माननीय सदस्य कह रहे थे और हम मान रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि इस बिल को कुछ समय तक चलाते रहें। यह आउट ऑफ वे रिक्वैस्ट करने वाली बात नहीं है। दूसरे बिल में माननीय सदस्य चाहते थे कि हाउस रात के नौ बजे तक चले। माननीय सदस्य समय मांगते रहे और हम समय देते रहे।...(व्यवधान) रासा सिंह जी, आप क्या बात कर रहे हैं। आप कितनी चीजों के लिए कहते थे कि आठ बजे तक चलने दीजिए, उसके बाद आप जीरो आवर की बात कहते रहे।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : बंसल जी, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं। हम पहले आधे घंटे की चर्चा ले लेते हैं। छः बजे हाउस का मूड देख लेते हैं। अगर हाउस छः बजे एग्री हो जाता है तो

काशीराम जी कंटीन्यू करेंगे।

श्री काशीराम राणा : सभापति महोदया, हम इसे सोमवार को कर सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : शायद काशीराम जी जाना चाहते हैं, इसलिए पहले इन्हें अपनी बात कहने दीजिए, फिर उसे शुरू कर देंगे।...(व्यवधान) मेरी दरख्वास्त है कि इसे आज पूरा कर लें।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : काशीराम जी, मुझे लगता है कि आप अभी अपना भाषण समाप्त कर दीजिए। आप बोल रहे हैं। अभी आधे घंटे की चर्चा ले लेते हैं और छः बजे हाउस का जैसा मूड होगा, वैसा करेंगे, नहीं तो 5 तारीख को लेंगे।â€¦(व्यवधान) You will continue afterwards.

श्री थावरचन्द गेहलोत : छः बजे कोरम भी नहीं होगा।...(व्यवधान)